**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**27.07.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1245 का उत्तर**

**रेलगाडि़यों में अत्यधिक सामान ढोने पर जुर्माना**

**1245. श्रीमती वानसुक साइमः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या रेलवे ने डिब्बों में अत्यधिक अघोषित सामान ले जाने हेतु भारी जुर्माना लगाने के अपने 30 वर्ष पुराने सामान भत्ते को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कदम डिब्बों में अत्यधिक सामान ले जाने जिससे यात्रियों को असुविधा होती है, के संबंध में रेलवे को प्राप्त होने वाली अनेक शिकायतों से प्रेरित होकर उठाया गया है; और

(ग) क्या रेलवे ने अत्यधिक अघोषित सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की आकस्मिक जांच करने हेतु सभी जोनों की सभी रेलगाडि़यों में विशेष अभियान प्रारंभ किया है?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (ग): बिना टिकट/अनुपयुक्त टिकट और बिना बुक किए गए सामान के साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा और वाणिज्यिक विभागों द्वारा समय-समय पर नियमित अभियान चलाए जाते हैं। नियमित टिकट जांच अभियान के भाग के रूप में सामान की जांच की जा रही है और अनुमेय सीमा से अधिक सामान पाए जाने पर यात्रियों से देय प्रभार वसूल किए जाते हैं। बहरहाल, हाल ही में जून 2018 माह के दौरान कुछ क्षेत्रीय रेलों पर बिना बुक कराए गए सामान के साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए गए थे।

\*\*\*\*\*